निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 06 पटना, बुधवार, 22 माघ 1936 (श0) / 11 फरवरी 2015 (ई0)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-6
भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---
भाग-1-ख—मैट्रीकुलेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0-इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	7-7
भाग-3—भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---
भाग-4—बिहार अधिनियम	---
भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---
भाग-9—विज्ञापन	---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	8-8
पूरक	---
पूरक-क	9-12

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएं

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचनाएं

2 फरवरी 2015

सं0 2 स्था०-60/2008-248-वि०स०—सभा सचिवालय की अधिसूचना संख्या-630, दिनांक 16.05.2005 द्वारा प्रवृत वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3/एम-2-5-1/99, खण्ड-1829 वि०(2), दिनांक 07.04.2005 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप सं०-पी०सी०सी०-22/ वे०दा०-50-09/96-18(22) पटना, दिनांक 06.01.2015 के आलोक में श्री नरेन्द्र कुमार सिंह, सेवानिवृत्त उप-सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि 31.12.2014 तक उनके कोष में संग्रहित 300 (तीन सौ) दिनों का अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के बदले अनुमान्य वेतन तथा उक्त वेतन पर प्रचलित दर पर अनुमान्य महँगाई भत्ता के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, अवर सचिव ।

---

30 जनवरी 2015

सं0 2 स्था०-65/2009-222/वि०स०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-पी०सी०सी०-22/वि०स० -03/14-1265(22), पटना, दिनांक 17.11.2014 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 'क' के तहत श्री विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को दिनांक 07.07.2014 से 12.07.2014 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-159 के तहत् दिनांक 13.07.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, अवर सचिव ।

---

30 जनवरी 2015

सं0 2 स्था०-105/2005-217/ वि०स०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-पी०सी०सी०-22/ वि०स०-04/11-1266(22), पटना, दिनांक 17.11.2014 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 'क' के तहत श्री राज कुमार राम, अवर सचिव को दिनांक 24.06.2014 से 05.07.2014 तक उपार्जित अवकाश एवं उक्त संहिता के नियम-159 के तहत् दिनांक 06.07.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, अवर सचिव ।

---

30 जनवरी 2015

सं0 2 स्था०-200/08-212/ वि०स०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक-वै०दा०नि०को०-22/ वि०स०-07/13-1337(22), पटना, दिनांक 26.11.2014 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 'क' के तहत् श्री प्रदीप कुमार राय, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को दिनांक 06.08.2014 से 14.08.2014 तक उपार्जित अवकाश तथा उक्त संहिता के नियम-159 के तहत् दिनांक 15.08.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, अवर सचिव ।

30 जनवरी 2015

सं0 2 स्था०-163/2007- 194/ वि०स०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-पी०सी०सी०-22/ वि०स०-02/13-1267(22), पटना, दिनांक 17.11.2014 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत श्री असीम कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को दिनांक 02.06.2014 से 07.06.2014 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है । उक्त संहिता के नियम-159 के तहत् दिनांक 08.06.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति दी जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, अवर सचिव ।

---

27 जनवरी 2015

सं0 2स्था०-170/2014-154/वि०स०—सभा सचिवालय के अवर सचिव, श्री प्रमोद कुमार सिंह को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्र संख्या-वै०दा०नि०को०-22/वि०स०-06/11- 1241(22), दिनांक 06.11. 2014 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-234 के अनुसरण में दिनांक 03.06.2014 से 12.06.2014 तक रूपान्तरित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त संहिता के नियम-159 के तहत् दिनांक 13.06.2014 से 15.06.2014 को सार्वजनिक अवकाश के उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
श्री विनोद कुमार विद्यार्थी, अवर सचिव ।

---

30 जनवरी 2015

सं0 2 स्था०-178/2007-199/वि०स०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-पी०सी०सी०-22/ वि०स०-02/14-1268(22), पटना, दिनांक 17.11.2014 एवं ज्ञाप सं०- वै०दा०नि०को०-22/वि०स०-02/14-1474(22), पटना, दिनांक 22.12.2014 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत श्री सुनील कुमार, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को क्रमशः दिनांक 23.06.2014 से 30.06.2014 तक एवं 18.09.2014 से 29.09.2014 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, अवर सचिव ।

---

30 जनवरी 2015

सं0 2 स्था०-229/2005-207/वि०स०—वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक-पी०सी०सी०-22/ वि०स०-01/2014-1269(22), पटना, दिनांक 17.11.2014 तथा बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 230 एवं 248 (क) के तहत श्री पवन कुमार सिन्हा, अवर सचिव, बिहार विधान-सभा, पटना को दिनांक 05.07.2014 से 12.07.2014 तक एवं दिनांक 19.07. 2014 से 23.07.2014 तक उपार्जित अवकाश की स्वीकृति एवं उक्त संहिता के नियम-159 के तहत् दिनांक 13.07.2014 को सार्वजनिक अवकाश उपभोग की अनुमति प्रदान की जाती है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,
असीम कुमार, अवर सचिव ।

जल संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं
27 जनवरी 2015

सं0सं0 5/टी0 (याँत्रिक)3– 10–104/14–200—जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) को उनके नाम के सम्मुख कामचलाउ व्यवस्था के अर्न्तगत स्तम्भ–4 में अंकित कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।

क्र० सं०	नाम/ आई0डी0 कोड/ गृह ज़िला/	वर्त्तमान पदस्थापन	कार्यपालक अभियंता (याँ०) के पद का अतिरिक्त प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री सुवेश प्रसाद सिंह/ एम0598/ भागलपुर/ 2..08.55	कार्यपालक अभियंता (याँ०) सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल वीरपुर	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, दरभंगा	श्री कृष्णानंद मिश्र के दिनांक 31.01. 2015 को सेवानिवृति के क्रम में।
2	श्री अनिल कुमार सिंह /एम0 678 / भोजपुर /01.09.55	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, बौंसी	कार्यपालक अभियंता (याँ०) क्षेत्र यंत्र प्रमंडल, भागलपुर एवं कार्यपालक अभियंता (याँ०) सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, पूर्णियॉ	श्री जितेन्द्र झा कार्यपालक अभियंता (याँ०) के दिनांक 31.01.2015 को सेवानिवृति के क्रम में। श्री झा, कार्यपालक अभियंता (याँ०) क्षेत्र यत्र प्रमंडल, भागलपुर (मूल प्रभार) एवं कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई यांत्रिक प्रमंडल, पूर्णियॉ के अतिरिक्त प्रभार का प्रभार सौपेंगे।
3	श्री दिनेश प्रसाद सिंह /एम0–623/ बेगूसराय/ 05.04.56	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर	कार्यपालक अभियंता (याँ०) सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मुजफ्फरपुर	श्री मुक्तेश्वर पांडेय, के दिनांक 28.02.15 को सेवानिवृति के क्रम में।
4	श्री सुरेश प्रसाद यादव /एम0 668/ खगड़िया/01.01.57	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल डिहरी	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मोहनियॉ एवं कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद	श्री शिवेन्द्र शर्मा कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, मोहनियॉ एवं कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, औरंगाबाद (दोनो प्रभार का) का अतिरिक्त प्रभार सौपेंगे।
5	श्री कोमल किशोर झा /एम 643/ मधुबनी /05.01.56	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक मोनेटरींग एवं डिस्पोजल प्रमंडल, पटना	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक मोनेटरींग प्रमंडल, पटना	श्री युगल किशेर शर्मा के दिनांक 28.02.2015 को सेवानिवृति के क्रम में।
6	श्री त्रिलोक कुमार/ एम0–682/पटना/ 19.07.55	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, गया	कार्यपालक अभियंता (याँ०), सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक प्रमंडल, वाल्मी पटना	श्री अशोक कुमार कार्यपालक अभियंता (याँ०) के दिनांक 12.01.2015 को मृत्यु हो जाने के क्रम में।

1. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
2. संबंधित पदाधिकारी ससमय प्रमंडलों का अतिरिक्त प्रभार प्राप्त कर प्रभार प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराऐंगे।
3. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
4. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सूनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

---

27 जनवरी 2015

सं0 5/टी0 (याँ०)–03–10–103/2014–201—जल संसाधन विभाग के यॉत्रिक अभियंता संवर्ग के अधीन निम्नलिखित अधीक्षण अभियंता (याँ०) को अस्थायी कामचलाउ व्यवस्था के तहत स्तंभ–4 में अंकित अधीक्षण अभियंता (याँ०) के रिक्त पदों का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है, जो नियमित रुप से अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक) के पदस्थापन के उपरान्त स्वतः समाप्त हो जाएगा।

क्र०	नाम/आई०डी०कोड० जन्म तिथि/गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन	अधीक्षण अभियंता (याँ०) के पद का अतिरिक्त प्रभार	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह /एम0393/07.12.55 /वैशाली	अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक अंचल, गया, शिविर डिहरी	अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई विद्युत सह याँत्रिक अंचल, पटना	श्री अशोक कुमार के दिनांक 12.01.2015 को मृत्यु हो जाने के क्रम में
2	श्री अब्दूल कयूम/ एम 0447/11.07.55/ मुजफ्फरपुर	अधीक्षण अभियंता सिंचाई याँत्रिक अंचल, मुजफ्फरपुर	अधीक्षण अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक अंचल, वीरपुर	श्री कृष्णानन्द मिश्र, के दिनांक 31.01.2015 के सेवानिवृति के क्रम में

2. यह आदेश तत्कालिक प्रभाव से लागू होगा।
3. सभी पदाधिकारी अपने कार्यों के अलावे अतिरिक्त प्रभार से संबंधित अंचल का प्रभार ग्रहण करते हुए ससमय प्रभार प्रतिवेदन की प्रति मुख्यालय को समर्पित करेंगे।
4. यह व्यवस्था पूर्णतः अस्थायी है। अतिरिक्त प्रभार के लिए किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
5. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उपरांकित आदेश का अनुपालन ससमय सुनिश्चित कर अनुपालन प्रतिवेदन विभाग को समर्पित करेंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

---

12 जनवरी 2015

सं0 5/एल0(याँ0)-02-10-101/2014-65—जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन श्री संत कुमार सिंह (धारक–आई0 डी0कोड–एम0–0504), पूर्व कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, मोहनियाँ सम्प्रति तकनीकी सलाहकार (कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक)), सिंचाई याँत्रिक अंचल, गया (शिविर–डिहरी) को बिहार सेवा संहिता के नियम–234 के अन्तर्गत स्वचिकित्सा पर बितायी गयी अवधि दिनांक 15.02.2014 से 06.05.2014 अर्थात् कुल 81 (इक्कासी) दिनों के रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

---

22 जनवरी 2015

सं0 5/एल(याँ0)2-10-102/2014-173—जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन श्री सतीश कुमार, पूर्व कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक), सिंचाई याँत्रिक प्रमंडल, समस्तीपुर को उनके स्वचिकित्सा पर बितायी गयी अवधि दिनांक 19.8.2014 से 16.11.2014 तक अर्थात कुल 85 (पचासी) दिनों के बिहार सेवा संहिता के नियम 234 के अन्तर्गत रूपांतरित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सुशील कुमार सिंह, संयुक्त सचिव (प्रबंधन)।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
20 नवम्बर 2014

सं० 01/रा०स्था०(2)सह०से०(व्य०)06/2004–**4425**–सह०—श्री वीरेन्द्र ठाकुर, जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर सम्प्रति प्रबंध निदेशक, सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, पूर्णियाँ को अपनी पुत्री की शादी तय करने हेतु दिनांक 16.06.14 से 05.07.14 तक उपार्जित छुट्टी में जाने की अनुमति प्रदान किये जाने से संबंधित विभागीय अधिसूचना 2614 दिनांक 02.07.14 को उपार्जित छुट्टी में न जाने के कारण रद्द किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

18 नवम्बर 2014

सं० 01/सह०रा०स्था० (वि०स०से०) सा०भ०नि० अग्रिम–51/12–4414—श्री मो० हामिद, सहायक निबंधक (अ०र०) सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को अपने पुत्र के नामांकन हेतु दिनांक 27०06०2014 से दिनांक 02०07०2014 कुल 6 दिन एवं अपने पुत्री के नामांकन हेतु दिनांक 11०09०2014 से दिनांक 19०09०2014 तक कुल 9 दिन (कुल 6+9=15) दिन के उपार्जित अवकाश एवं दिनांक 20०09०2014 (शनिवार) एवं दिनांक 21०09०2014 (रविवार) के साप्ताहिक अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

———

24 सितम्बर 2014

सं० 1/सह०–राज०स्था०(अंके०)–27/09–3846—श्री बैद्यनाथ राय, जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ, कटिहार को बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के अन्तर्गत वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग के अवकाश आदेयता प्रतिवेदन संख्या 1081 (22), दिनांक 08.09.14 के आलोक में दिनांक 03.01.14 से 19.01.14 तक कुल सत्रह (17) दिनों का उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

———

10 अक्तूबर 2014

सं० /सह०राज०स्था० (स्थाना०)–56/2013–4011—बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को उनके नाम के सामने स्तम्भ–3 में अंकित वर्त्तमान पदस्थापन स्थान के अतिरिक्त स्तम्भ–4 में अंकित पद एवं स्थान का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक दिया जाता है :–

क्र० सं०	नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्त्तमान पदस्थापन (अतिरिक्त प्रभार सहित)	अतिरिक्त प्रभार का पद एवं स्थान
1	2	3	4
1	श्री मनोज कुमार 59/09 पटना	जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा	संयुक्त निबंधक, स०स०, सहरसा/उप निबंधक, स०स०, सहरसा/सहायक निबंधक, स०स०, सहरसा।
2	श्री अशोक कुमार रजक 37/09 भागलपुर	उप निबंधक, स०स०, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा	संयुक्त निबंधक, स०स०, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा
3	श्री शंभुसेन कुमार 67/09 पटना	जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद (सहायक निबंधक, स०स०, जहानाबाद; महा प्रबंधक, आई०सी०डी०पी० जहानाबाद)	जिला सहकारिता पदाधिकारी–सह–सहायक निबंधक, स०स०, अरवल (पैक्सों के निर्वाचन अवधि तक)

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

———

6 जनवरी 2015

सं० 01/रा०स्था० (7) योगदान 20/12/**67**–सह०—श्री वीरेन्द्र कुमार बर्खास्त सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, जिन्हें विभागीय आदेश संख्या 64 दिनांक 06०01०2015 द्वारा सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, के पद पर पुनस्थापित किया गया है को तत्कालिक प्रभाव से निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना के कार्यालय में सहायक निबंधक (अ०र०) सहयोग समितियाँ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव।

———

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+50-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

गृह विभाग
अभियोजन निदेशालय

शुद्धि पत्र
23 जनवरी 2015

सं0 अ0नि0(01) 22/2014/स्था0–**77**—बिहार अभियोजन सेवा के मूल कोटि के सहायक अभियोजन पदाधिकारियों (वेतनमान PB 2+GP 4800) को वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1562 वि0 दिनांक 14.02.14 के आलोक में 4 वर्ष की सम्पुष्ट सेवा पूरी होने पर वेतनमान PB 3+GP 5400 में वेतन उत्क्रमण की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी विभागीय अधिसूचना सं0 947 दिनांक 20.10.14 को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है :–

क्र0	सहायक अभियोजन पदाधिकारी का नाम/ गृह जिला/ कोटि क्रमांक(2007)	सेवा में योगदान की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि	वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1562 वि0 दिनांक14.02.14 के आलोक में 4 वर्ष की सम्पुष्ट सेवा पूरी होने पर वेतनमान PB 3+GP 5400 में वेतन उत्क्रमण की तिथि।
1	2	3	4	5
36	श्री नित्यानंद कुमार मधेपरा।/244	11.01.99	30.09.01	01.01.06
53	श्री राजेन्द्र कुमार सिंह भभुआ।/261	07.01.99	01.01.05	01.01.06
66	श्री विजय कुमार चौधरी भागलपुर।/274	08.01.99	23.06.02	01.01.06
162	श्री अनन्त कुमार आरा।/374	11.01.99	01.07.03	01.01.06

2. शेष बातें पूर्ववत् रहेंगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कृष्ण मुरारी प्रसाद, अवर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

भाग-9(ख)

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय, सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

No.175— I, Tanya, D/o Sanoj Kumar, R/o- B-52 Housing Colony Kankarbagh, Patna-20 vide affidavit no. 624, dated 20th December 2014 shall be known as Tanya Singh for all future purposes.

TANYA.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग

अधिसूचना
16 जनवरी 2015

सं० के0/कारा/रा0प0–05/08–433—श्री उमेश प्रसाद सिंह, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ (सम्प्रति दूसरे मामले में निलंबित) के विरूद्ध वरीय पदाधिकारियों के आदेशोल्लंघन, अकर्मण्यता, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता के लिए गठित आरोपों की जाँच के लिए गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 6132 दिनांक 06.06.2008 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु प्रमंडलीय आयुक्त, पटना को संचालन पदाधिकारी नामित किया गया।

2. श्री सिंह के विरूद्ध प्रपत्र ''क'' में कुल 16 (सोलह) आरोप गठित हैं जिनका सार निम्नवत् हैः–

(i) उपकारा, लखीसराय (वर्तमान में मंडल कारा, लखीसराय) में दिनांक 12.06.2004 को संसीमित बंदी कारू सिंह के साथ अन्य बंदियों द्वारा मारपीट की गयी। घटना की जाँच के क्रम में यह पाया गया कि कारू सिंह के पिता एवं भाई की हत्या के आरोपियों को उनके वार्ड में ही रखा गया था। इससे विहित पदीय कर्त्तव्यों के प्रति उनकी कर्त्तव्योपेक्षा, लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक बताया गया जिससे उनकी प्रशासनिक विफलता पूर्णतः स्थापित हुई।

(ii) पत्रांक 5295 दिनांक 20.08.2007 द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने तथा पत्रांक 6011 दिनांक 25.09.2007 द्वारा स्मारित किये जाने पर भी आरोपित पदाधिकारी द्वारा उसका जबाव नहीं दिया गया।

(iii) दिनांक 07.07.1995 को मंडल कारा, पूर्णियाँ के कर्मियों के वेतन मद में निकासी की गई कुल राशि रूपये 142351.50 (एक लाख बयालिस हजार तीन सौ इक्कावन रूपये पचास पैसे) मात्र का वितरण उसी दिन नहीं कर आरोपित पदाधिकारी ने असुरक्षित स्थान मैगजीन गार्ड के पास थैला रखवा दिया जिसे दूसरे दिन उन्होंने ले लिया। इस प्रकार रूपये गायब होने के आरोप में प्राथमिकी अभियुक्त होने के कारण वे कारा में संसीमित हुये और जमानत पर बाहर हैं। अतः गबनग्रस्त राशि के गायब होने के षडयंत्र में उनकी संलिप्तता एवं सहभागिता रही है।

(iv) जिला पदाधिकारी, मधुबनी से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 06.03.2005 को रात्रि दस बजे तक 12 मजदूरों को कार्य समाप्ति के बाद बंदी मुलाकात गृह में रोककर रखा गया था, उक्त अवधि में कारा के निर्माणाधीन भवन की ढलाई 40 मजदूरों द्वारा की जा रही थी जिसकी अनुमति आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं दी गई थी। इस प्रकार उनके द्वारा कारा हस्तक नियम 598 (बी0) का घोर उल्लंघन कर ठेकेदार की मिलीभगत से ढलाई का कार्य करवाया गया एवं सुरक्षा संबंधी नियमों की अनदेखी की गयी जो उनकी स्वेच्छाचारिता एवं कर्तव्य की उपेक्षा का द्योतक है।

(v) विचाराधीन बंदी मो0 आलम के अपने वार्ड से गायब होने की सूचना जिलाधिकारी, मधुबनी को देकर अपने स्तर से खोजने का कार्य आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। उक्त बंदी बाद में पुलिस पदाधिकारी/सशस्त्र बल के सहयोग से महिला वार्ड के निर्माणाधीन भवन के निचले छज्जे के एक गड्ढे से

बाहर निकाला गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में अपने स्तर से कोई सार्थक प्रयास नहीं किया जाना उनकी कर्तव्यहीनता एवं प्रशासनिक लापरवाही का द्योतक है।

(vi) उनके द्वारा मंडल कारा, मधुबनी में एकादश वित्त आयोग की अनुशंसा पर महिला वार्ड में निर्माणाधीन रसोई घर के निर्माण में निर्माण स्थल पर निर्माण सामग्री गिराने के बावजूद निर्माण कार्य की अनुमति नहीं दी गई और इस प्रकार जान–बूझकर निर्माण कार्य में व्यवधान पैदा किया गया, जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल है।

(vii) उप समाहर्त्ता प्रभारी, लखीसराय द्वारा दिनांक 12.08.2003 को कारा का किये गये औचक निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि मुलाकाती में अनियमितता बरती जा रही थी। आरोपित पदाधिकारी के कार्यालय कक्ष में खिड़की से पांच–छः कैदी बाहर से खड़े व्यक्तियों से बात कर रहे थे, मुलाकाती पंजी संधारित नहीं की जा रही थी तथा मुलाकाती के लिए पुर्जा भी भरा नहीं जा रहा था।

(viii) निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी द्वारा पंजियों को नियमित संधारित नहीं किया जाता था और न ही पंजियों में उनके हस्ताक्षर थे, जबकि विभागीय परिपत्र संख्या जी0पी0आई0 20–0–91/98 दिनांक 06.09.1998 द्वारा निदेश दिया गया था कि सभी पंजियों को नियमित संधारित किया जाये। परन्तु ऐसा न करके विभागीय निदेशों तथा कारा हस्तक नियम–129 (ए) का उल्लंघन किया गया है।

(ix) निरीक्षण के क्रम में कारा परिसर में व्यापक तौर पर गंदगी पाई गयी। चारों तरफ गंदगी का ढेर लगा हुआ था एवं कहीं–कहीं पानी का जमाव भी था; परन्तु उनके द्वारा सफाई की कोई व्यवस्था नहीं की गई थी, जो उनकी कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही का प्रतीक है।

(x) रसोई घर के निरीक्षण में पाया गया कि बंदियों को दी जाने वाली खाद्य सामग्री निम्नस्तरीय थी। चावल बहुत मोटे, दाल में पानी की मात्रा अत्यधिक तथा सब्जी में आलू एवं बैंगन की मात्रा नाममात्र की थी। कैदियों द्वारा शिकायत करने पर उनसे उलझ पड़े और बंदियों को निम्न स्तरीय भोजन सामग्री उपलब्ध कराकर सरकारी राशि में हेरा–फेरी की जाती रही। यह उनकी प्रशासनिक विफलता एवं कारा हस्तक नियम–35 का उल्लंघन है।

(xi) विभिन्न वार्डों के निरीक्षण के क्रम में पाया गया है कि बंदियों द्वारा अलग–अलग खाना बनाया जा रहा था तथा बाहर से भी खाने की सामग्री मंगाई जा रही थी। कैदियों को राशन की आपूर्ति नहीं किये जाने के कारण उन्हें बाहर से राशन मंगाना पड़ता है। बंदियों को अलग–अलग खाना बनाने की सुविधा प्रदान किया जाना परिपत्र संख्या जी.पी.आई.–20–0–91/98 दिनांक 06.09.1998 का उल्लंघन है। साथ ही सभी बंदियों का राशन नहीं उपलब्ध कराया जाना मद की राशि के गबन का द्योतक है।

(xii) निरीक्षण के क्रम में कारा अस्पताल में ताला लगा हुआ पाया गया। आरोपित पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि कम्पाउन्डर चाभी के साथ फरार है जिस कारण बंदियों को दवा उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। कम्पाउंडर का चाभी के साथ फरार होने से स्पष्ट है कि अधीनस्थों पर नियन्त्रण का अभाव है, जो उनकी प्रशासनिक विफलता का परिचायक है।

(xiii) निरीक्षण के क्रम में उनके द्वारा बतलाया गया कि कारा के बाहर कारा की जमीन पर नगद राशि के बदले बाहरी व्यक्तियों को खेती करने के लिए दिया गया है लेकिन इस मद में प्राप्त राशि का कोई ब्योरा उनके द्वारा नहीं दिया गया। यह सरकारी राशि के गबन की संभावना का द्योतक है।

(xiv) दिनांक 26.07.2003 को उपकारा, लखीसराय में लोक अदालत का आयोजन किया गया था, परन्तु पूर्व जानकारी के बावजूद आरोपित पदाधिकारी अनुपस्थित रहे जिसका कारण अपनी अस्वस्थता बताया गया। इसकी सूचना उपाध्यक्ष, लखीसराय, जिला विधि सेवा प्राधिकार–सह– जिला दंडाधिकारी, लखीसराय को दी जानी चाहिए थी; परन्तु ऐसा न करके जेल लोक अदालत की गरिमा, महत्व व न्यायिक पदाधिकारियों के जेल में सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों को काफी हल्के ढंग से लिया गया, जो उनकी लापरवाही, कर्त्तव्योपेक्षा एवं आदेश की अवहेलना का परिचायक है।

(xv) वरीय पदाधिकारियों के आदेशोल्लंघन, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरतने के आदतन अभ्यस्त होने और प्रशासनिक श्रृंखला नियंत्रण क्रम में नहीं रहना, सरकारी सेवा में उनकी निर्योग्यता को स्थापित करता है।

(xvi) जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ द्वारा दिनांक 27.12.2007 को दूरभाष पर सूचना दी गयी कि कारा प्रशासन संचालन की वैकल्पिक व्यवस्था किये बिना आरोपित पदाधिकारी मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहे। उनका यह आचरण नक्सल प्रभावित संवेदनशील कारा में पदस्थापित रहते हुए विहित पदीय कर्त्तव्यों के सर्वथा प्रतिकूल, लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का परिचायक है।

3. विभागीय कार्यवाही के दौरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान/स्पष्टीकरण में आरोपों का प्रतिवाद किया गया एवं किसी में भी अपनी संलिप्तता से इनकार किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच अधिगम में आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध गठित उपर्युक्त प्रतिवेदित आरोपों में से आरोप संख्या–(iv) एवं (xi) को प्रमाणित पाया गया है। शेष आरोप संख्या–(i), (ii), (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x), (xii), (xiii), (xiv) एवं (xvi) को अप्रमाणित पाया गया। आरोप संख्या–(iii) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का अधिगम है कि रूपये गायब होने के संबंध में प्राथमिकी के अतिरिक्त कोई अन्य साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया तथा मामला न्यायालय

में विचाराधीन है, अतएव इस मामले में आरोप प्रमाणित होने के बिंदु पर कोई मंतव्य देना उचित प्रतीत नहीं होता है। वरीय पदाधिकारियों के आदेशोल्लंघन, अनुशासनहीनता एवं स्वेच्छाचारिता बरते जाने संबंधी आरोप संख्या–(xv) के संबंध में संचालन पदाधिकारी का कहना है कि यह आरोप अन्य वर्णित आरोपों के आधार पर गठित किया गया है जिसके संबंध में अलग से मंतव्य देने के आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

4. उपर्युक्त आलोक में विभागीय पत्रांक 4992 दिनांक 07.10.2013 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति आरोपित पदाधिकारी को उपलब्ध कराते हुए उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की गयी कि प्रमाणित आरोपों के लिए क्यों नहीं बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के अंतर्गत उनके विरूद्ध दंडादेश पारित किया जाय। अपने द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर में आरोपित पदाधिकारी ने प्रमाणित आरोपों का प्रतिवाद करते हुए इसे मनगढंत एवं काल्पनिक बताया। प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में संचालन पदाधिकारी के अधिगम एवं आरोपित पदाधिकारी से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा की समीक्षा की गई। समीक्षोपरांत आरोप संख्या–(iv) के संबंध में आरोपित पदाधिकारी द्वारा कारा के निर्माणधीन भवन की ढलाई के लिए 12 मजदूरों को रोके रखने के संबंध में दिया गया तर्क स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया क्योंकि उनके द्वारा कारा हस्तक नियम–598 (बी0) का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया गया था। साथ ही, आरोप संख्या–(xi) के संबंध में उनके द्वारा यह कहना कि बंदियों को ससमय भोजन कराने तथा समय पर न्यायालय में उपस्थापन कराने में हो रही कठिनाई के कारण कारा प्रशासन द्वारा कुछ अतिरिक्त चूल्हे बना दिए गऐ थे, स्वीकारयोग्य नहीं पाया गया क्योंकि इससे कारा हस्तक एवं विभागीय निदेशों का उल्लंघन करते हुए अवैध चूल्हे बनाये जाने का आरोप प्रमाणित ही होता है।

5. उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में विभागीय स्तर पर सम्यक् समीक्षोपरांत आरोपित पदाधिकारी श्री उमेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन काराधीक्षक, मंडल कारा, भभुआ सम्प्रति निलंबित (दूसरे मामले में) के विरूद्ध प्रमाणित आरोपों की गंभीरता को देखते हुए ''निंदन के साथ 2 (दो) वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक'' के दण्ड प्रस्ताव का निर्णय लिया गया, जिस पर बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक–2243 दिनांक 24.12.2014 के अनुसार दिनांक 18.12.2014 को संपन्न आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में उपर्युक्त विभागीय दण्ड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गई है।

6. अतः श्री उमेश प्रसाद सिंह, काराधीक्षक, सम्प्रति निलंबित (दूसरे मामले में) के विरूद्ध निम्न दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) **निंदन**

(ii) **2 (दो) वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक।**

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सत्येन्द्र नाथ श्रीवास्तव,
अपर सचिव–सह–निदेशक, प्रशासन।

सहकारिता विभाग

अधिसूचनाएं
24 नवम्बर 2014

सं० 8/नि०को०(रा०)थाना कांड–901/2012–**4463**––श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध लखीसराय जिला के साबिकपुर पैक्स में धान अधिप्राप्ति में वित्तीय अनियमितता बरतने एवं न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के कारण इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–3769 दिनांक 09.09.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री शर्मा से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी से प्राप्त अधिगम एवं श्री शर्मा से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा प्रत्युत्तर की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री शर्मा के विरूद्ध आरोप संख्या–4 के संदर्भ में श्री शर्मा का स्पष्टीकरण संतोषप्रद नहीं पाया गया जिसके लिए वे दोषी हैं। अतएव प्रमाणित आरोपों के लिये श्री मनोज कुमार शर्मा, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी –सह– सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, मुंगेर (सम्प्रति निलंबित) को निम्नांकित दण्ड संसूचित किया जाता है;

(i) निन्दन।

(ii) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक।

(iii) श्री शर्मा को निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा।

2. श्री शर्मा को निलम्बन मुक्त कर उनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

3. इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

2 जनवरी 2015

सं० 08/नि०को०(रा०) विभागीय–740/2012–**21**––श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी अंचल, पटना के विरूद्ध प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराने के क्रम में बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के आदेश की अवहेलना एवं निर्वाचन संबंधी कार्य में अपने कर्त्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने के आरोप में इनके विरूद्ध आरोप–पत्र (प्रपत्र–क) गठित कर विभागीय संकल्प संख्या–1445 दिनांक 28.03.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। इस संदर्भ में श्री विनोद से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचालन पदाधिकारी श्री पी० के० सिन्हा, अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना से प्राप्त अधिगम की सम्यक समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त श्री विनोद के विरूद्ध लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं पाये गये हैं। अतएव श्री विनोद, तत्कालीन जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना सिटी अंचल, पटना को आरोप मुक्त करते हुए उक्त विभागीय कार्यवाही समाप्त किया जाता है।

इसमें माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
कामेश्वर प्रसाद, उप–सचिव (निगरानी)।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 47—571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in